

65

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

आदेश

संख्या-12/चक0-2-प्रारूपक-3/2015 883 /चक0, पटना, दिनांक 29.8.2016

चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के विभिन्न चकबंदी कार्यालयों के सेवा निवृत्त/मृत निम्नांकित ~~प्रारूपक~~ को बिहार राज्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में वृत्ति उन्नयन का लाभ देने हेतु दिनांक 15.06.2016 को आहुत प्रोन्नति-सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सामने कॉलम 5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि से एवं वेतनमान/पे बैंड, ग्रेड-पे में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	नाम/पदनाम/सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि	अंतिम पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	देय ACP/MACP का विवरण			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री लखन मांझी, सेवानिवृत्त प्रारूपक (दिनांक 30.09.10)	उप निदेशक, चकबंदी कार्यालय, सीवान	24.01.74	X	X	01.01.2009 9300-34800 ग्रेड पे 4600	
2	श्री अनिल कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रारूपक (दिनांक 31.01.16)	चकबंदी कार्यालय, संदेश (भोजपुर)	28.03.73	09.08.1999 4500-7000	09.08.1999 5000-8000	01.01.2009 9300-34800 ग्रेड पे 4600	

- (2) किसी भी समय यह पाया जायेगा कि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी।
- (3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड-पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

24/8
(व्यास जी)

निदेशक, चकबंदी।

ज्ञापांक 883 /चक0, पटना, दिनांक 29.8.2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, चकबंदी कार्यालय, सीवान/भोजपुर/चकबंदी कार्यालय, संदेश (भोजपुर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8
(व्यास जी)

निदेशक, चकबंदी।